05/10/2020

अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। बंदोबस्तदार के बंशज के द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित कागजात इस कार्यालय में जमा किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

5.10.2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

15/10/2020

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा सिकटिया थाना सं0–312 के गैरमजरूआ खाता सं0–20 के अंदर दाग सं0–351 कुल खतियानी रकवा 01–06–16 धूर किस्म परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में अंकित है। इसी मौजा के पंजी 2 अवलोकन से पाया कि उक्त खेसरा सं0 351 के अंदर अंश रकवा 00–15–16 धूर भूमि अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती केश सं0 163/73–74 से गुरू टुडू पिता रूप टुडू के नाम से खाता सं0 20/4 में दर्ज है। जांच के कम में बंदोबस्तदार के बंशज द्वारा उक्त बंदोबस्ती से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया, जो इस पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार बंदोबस्तदार को खेसरा सं0 351 के अंदर रकवा 00–11–00 धूर भूमि बंदोबस्त है। स्थलीय जांच में पाया कि उक्त खेसरा के अंदर रकवा 00–11–00 घूर भूमि पर ही बंदोबस्तदार के बंशज द्वारा जोत–कोड़ कर खेती किया जा रहा है। फोटो प्रति संलग्न। किन्तु भूलवश पंजी 2 के खाता सं0 20/4 में बंदोबस्त रकवा 00–15–16 धूर अंकित है, जो गलत है। पंजी 2 में गलत दर्ज रकवा को सुधारते हुए कायम खाता को सरकार के पत्र के आलोक में नियमित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः पंजी 2 में रकवा सुधार कर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार संधारित अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 तथा पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020–1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बैध बंदोबस्ती एवं दखल कब्जा के आधार पर नियमित किया जाता है।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

15.10.2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।